

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section(i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 1979/फाल्गुन 15, 1900
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 1979/PHALGUNA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० वि० 208(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 90/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 मार्च, 1978 को अधिकांत करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14ज की उपमद (ii) के अधीन मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य वस्तुओं के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है।

सारणी

वर्णन	टैरिफ मूल्य
1	2
क्लोरिन	
(क) क्लोरिन (द्रव)	पांच सौ पचास रुपये प्रति मीटरी-टन
(ख) गैसीय रूप में सूखी क्लोरिन	चार सौ पचास रुपये प्रति मीटरी-टन

[सं. 105/79-के० उ० शु० का० सं० 7/4/79-के० उ० शु० I]
सिद्धार्थ कक, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 1979

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 208(E).--In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944. and in super-session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 90/78 Central Excises dated the 30th March 1978, the Central Government hereby fixes, for gases specified in column (1) of the table hereto annexed and chargeable with duty *ad valorem* under the sub-item (ii) of Item No. 14H of the First Schedule to the said Act, the tariff values specified in the Corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Description	Tariff value
1	2
Chlorine	
(a) Chlorine (liquid)	Rupees five hundred and fifty per metric tonne.
(b) Dry Chlorine in gaseous form	Rupees four hundred and fifty per metric tonne.

[No. 105/79-CE-F. No. 7/4/79-CE.I]
SIDDHARTHA KAK Under Secy.,